

—:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::—

पृष्ठा.क्र० 8452 / एक-6-2/11

उज्जैन, दिनांक सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि :-

- 2 SEP 2025

1.

(समस्त न्यायालय जिला उज्जैन)

की ओर माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा प्रेषित ज्ञापन क्रमांक बी/5652 दिनांक 28.08.2025 की प्रति मय प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 3514 दिनांक 18.08.2025 की प्रति सहित सूचनार्थ एवं इस टीप के साथ प्रेषित कि यदि मध्यप्रदेश सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत अथवा सरकार के द्वारा दायर किये गये **सिविल प्रकरणों में जहां म0प्र0 शासन आवश्यक पक्षकार है**, सरकार की ओर से लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित नहीं हो रहे हैं या एकपक्षीय हो गये हैं तो इसकी जानकारी कार्यालय में 07 दिवस में प्रेषित करें, साथ ही भविष्य में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने पर कार्यालय को सूचित करें ताकि जानकारी मॉनिटरिंग सेल की बैठक में रखी जा सके।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

प्रधान जिला एवं ~~सत्र~~ न्यायाधीश,
✓ उज्जैन (म.प्र.)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

क्रमांक B/5652
III-2-3/67

जबलपुर दिनांक 28 अगस्त 2025

प्रति,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
समस्त (म.प्र.)

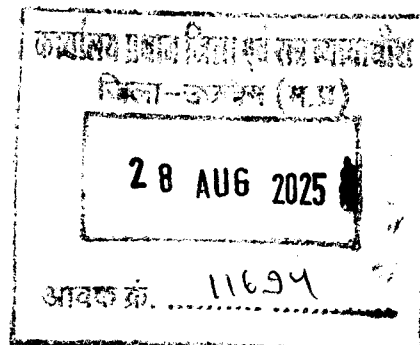
विषय: माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के प्रकरण जनहित याचिका क्रमांक 10997/2025 (दीपक कुमार एवं अन्य विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में दिये गये आदेश दिनांक 13.08.2025 के पालन के संबंध में प्राप्त पत्र।

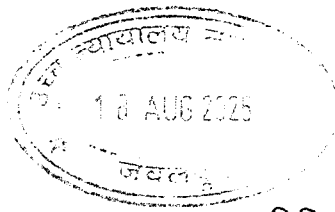
संदर्भ:— प्रमुख सचिव म.प्र.शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल म.प्र. द्वारा फा. क्रमांक 3514/2025/21-ब (एक) दिनांक 18.08.2025.

यथानिर्देश उपरोक्त विषयान्तर्गत, प्रमुख सचिव म.प्र.शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल, म.प्र. से प्राप्त पत्र फा. क्रमांक 3514/2025/21-ब (एक) दिनांक 18.08.2025 आपकी ओर प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि, यदि मध्यप्रदेश सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत अथवा सरकार के द्वारा दायर किये गये **सिविल प्रकरणों** में सरकार की ओर से लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित नहीं होते हैं या एकपक्षीय हो जाते हैं तो इसकी जानकारी संबंधित सभी सिविल न्यायालय, आप प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को प्रदान करेंगे तथा आप उक्त आशय की जानकारी मॉनीटरिंग सेल की बैठक में संबंधित जिले के जिला कलेक्टरों को अवगत करावेंगे जिससे जिला कलेक्टर शासन के विरुद्ध या सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में कार्यवाही सुनिश्चित कर सकें।

5.6
28-08-25
10

Y. Raut
28/08/25
(मुकेश रावत)
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)





मध्यप्रदेश शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग

Urgent

Speed-फी

फाइल नं. 3514/2025/21-व(एक)

भोपाल, दिनांक 18/08/2025

प्रति,

जिस्ट्रस जनरल,
उच्च न्यायालय,
मध्यप्रदेश, जबलपुर

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के प्रकरण जनहित याचिका क्रमांक 10997/2025 (दीपक कुमार एवं अन्य विरुद्ध MOPROशासन व अन्य) में दिये गये आदेश दिनांक 13/08/2025 के पालन के संबंध में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में उक्त विषयकित जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रमुख सचिव, विधि एवं प्रमुख सचिव, राजस्व व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई के दौरान यह भी निर्देश दिये गये हैं कि MOPROशासन के विरुद्ध प्रस्तुत एवं सरकार के द्वारा माननीय सिविल प्रकरणों में दायर किये गये प्रकरणों में प्रायः सरकार की ओर से लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित नहीं होते हैं। इसकी जानकारी संबंधित न्यायालय जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को प्रदान करेगा तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा मैजिस्ट्रेटिंग सेल की बैठक में उपरोक्त तथ्यों से संबंधित जिले के जिला कलेक्टरों को इस संबंध में अवगत कर देने जिससे जिला कलेक्टर शासन के विरुद्ध या सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में कार्यवाही सुनिश्चित कर सकें।

अतः माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा उक्त जनहित याचिका में दिये गये निर्देशों (छायाप्रति संलग्न) के अलोक में सम्पूर्ण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को अवगत में आदेश/निर्देश जारी किये जाने का अनुरोध है।

संलग्न - आदेश दिनांक 13/08/2025 की प्रति।

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ. फाइल नं. 3514/2025/21-व(एक)

भोपाल, दिनांक 18/08/2025

1- प्रमुख सचिव, राजस्व, मंत्रालय, दल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित

(अनिल कुमार पाठक)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

प्रति, जिस्ट्रस जनरल

Registrar General
High Court of M.P.
Jabalpur
18 AUG 2025

Reg. (DE)